न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 227 / 2008
तारीख दायर : 08.10.2008

अनवान

1. माधू पिता मांगू धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. श्रीराम पुत्र मांगू धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. शंकर पुत्र गोपाल धाकड़ नाबालिग संरक्षक बबिलायत माता जैतु बेवा गोपाल धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. सुरेश पुत्र गोपाल धाकड़ संरक्षक नाबालिग बबिलायत माता जैतु बेवा गोपाल धाकड़ निवासी पीथा जी का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. मुत0 जैतु बेवा गोपाल जाति धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादीगण

बनाम

1. खाना पिता प्रताप धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. धन्ना पिता भुवाना धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. रूपा पिता प्रताप धाकड़ निवासी पीथाजी का खेड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादीगण)
2. श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 13.01.2020

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथाजी का खेड़ा पटवार हल्का मुकनपुरियॉ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में वादीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण के खातेदारी एवं कब्जेशुदा आराजियात होकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के व अन्य सह–खातेदारान के नाम पर दर्ज चली आ रही है। सन् 2007 में गेहूँ की फसल कटने के बाद प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त जमीन के दक्षिणी दिशा में 3 बिस्वा जमीन पर अनाधिकृत रूप से खांखला (गेहूँ का भूसा) डाल दिया एवं पत्थर डलवा दिये। वादीगण ने ऐतराज किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि अगली फसल काश्त करने से पूर्व प्रतिवादीगण खांखला व पत्थर वादग्रस्त जमीन से हटा लेगें। चूंकि प्रतिवादीगण वादीगण के रिश्तेदार होकर खेत के पड़ोसी है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण की बात पर विश्वास कर लिया। दिनांक 20.06.2008 को जब वादीगण अपनी जमीन को ट्रैक्टर से हकवाने लगें तो प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त जमीन की दक्षिणी दिशा में 3 बिस्वा जमीन हंकवाने से रोक दी एवं लड़ाई झगड़े पर उतारू हुए एवं वादग्रस्त जमीन के 3 बिस्वा रकबे का कब्जा छोड़ने से साफ इन्कार कर दिया और जबरन विवादग्रस्त जमीन के दक्षिणी दिशा के 3 बिस्वा रकबे पर पत्थरों की कच्ची दीवार करवा दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजियात के 3 बिस्वा रकबे पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर लिया एवं वादीगण के बार–बार निवेदन करने के बावजूद अतिक्रमण हटाने को तैयार नही है एवं लड़ाई झगड़े पर उतारू है। इसलिए वादीगण के पास बैदखली का वाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है।

दिनांक 08.09.2008 को अन्तिम बार वादीगण ने प्रतिवादीगण को अतिक्रमण हटाने एवं वादग्रस्त जमीन खाली करने हेतु निवेदन किया परन्तु प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण हटाने से साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात के 3 बिस्वा रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादीगण को सुपुर्द किया जाना न्यायसंगत है। वादीगण को वादकारण दिनांक 20.06.2008 एवं 08.09.2008 से उत्पन्न होकर सतत् रूप से जारी है। वादपत्र अन्दर अवधि एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। वादपत्र के साथ वादी का शपथपत्र डूप्लीकेट कॉपी जमाबन्दी सम्मन नकल तलबाना पेश है। अतः निवेदन है कि इस आशय की बेदखली की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें कि ग्राम पीथा जी का खेडा पटवार हल्का मुकन्दपुरिया की आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा के दक्षिणी ओर के 3 बिस्वा रकबे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें और वादग्रस्त आराजियात का कब्जा वादीगण को पुनः सिपूर्द किया जावें। दिनांक 20.06.2008 से कब्जेयाबी तक बतौर मुआवजा लगान का 50 गुणा राशि वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावें। अन्य कोई उचित अनुतोष जो वाद के तथ्यों और विधि के अनुसार वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

बाद जांच वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस सम्मन मय नकल वाद पत्र भेज करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 23.12.2008 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.07.2009 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता वादीगण को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाबदावा में कथन किया गया कि आराजी संख्या 291 में प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा होकर 1/2 हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर बरसों से उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का करीबन 250 वर्षो से अधिक समय से पीढ़ी दर पीढ़ी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग बरसों से करते चले आ रहे है। पूर्व में उक्त भूमि भवाना पिता हेमा एवं बालू हीरा पिता रामा के संयुक्त शामलाती खाते में एवं कब्जे काश्त में थी। भवाना की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रताप छोगा धन्ना के नाम पर दर्ज हुई एवं 1/2 हिस्सा बालू हीरा के नाम पर दर्ज हुई जिसके जायन्दा वारिस वादीगण एवं अन्य है एवं प्रताप के जायन्दा वारिस प्रतिवादीगण है एवं छोगा के रूपा है उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होकर हिस्सेनुसार वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्ष 2007 की जो काल्पनिक तारीख अंकित की है वह सर्वथा मिथ्या है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त जमीन के दक्षिणी दिशा में विगत 250 वर्षो से अधिक समय से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा चला आ रहा है। दिनांक 20.06.2008 को प्रतिवादीगण मौके पर नहीं आये। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के नाम पर गलत रूप से भूमि दर्ज कर दी जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा होकर वर्षों से उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है एवं वादीगण नम्बर 3 शंकर पिता गोपाल धाकड़ जो अपने आप को बालिग बताता है जो नाबालीग होकर उम्र 10 साल की है एवं वादी नम्बर 4 सुरेश पिता गोपाल धाकड़ जो अपने आप को बालिग बता कर वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसकी उम्र 7 साल है एवं अन्य खातेदारान शान्ति, राधा, सपना, पुत्री गोपाल एवं प्रेमी पुत्री भूरा, भूरी बेवा भूरा धाकड़ की ओर से कोई वादपत्र प्रस्तुत नही हुआ है। उक्त भूमि के सह–खातेदार है। आराजी संख्या 291 वादीगण एवं अन्य सह खातेदारान शान्ति, राधा, सपना पुत्री गोपाल प्रेमी पुत्री भूरा भूरी बेवा भूरा द्वारा कोई वादपत्र प्रस्तुत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश नही किया है एवं न ही उक्त भूमि का विभाजन किया हुआ है। वादीगण को वादपत्र पेश करने की लोकल स्टेन्डाई नही है। दिनांक 08.09.2008 को वादीगण मौके पर नही आये सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के नाम उक्त भूमि गलत रूप से दर्ज की गई है। प्रतिवादीगण का उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा होकर हिस्सानुसार वर्षों से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण को किसी प्रकार का वाद हेतु पैदा नही हुआ है। वादीगण को वादपत्र पेश करने की लोकल स्टेन्डाई नही है। वादपत्र में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर प्रकरण में दिनांक 04.05.2010 को निम्नांकित तनकियात कायम की गई।

तनकी संख्या :— 1. आया मौजा पीथाजी का खेड़ा की आराजी नम्बर 291 रकबा 10 बिस्वा आराजियात वादीगण के खातेदारी की आराजियात है जिस पर करीब 3 बिस्वा रकबे पर दिनांक 20.06.2008 को प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर लिया।

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या :— 2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात से प्रतिवादीगण को बेदखाल करा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या :— 3. आया वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तेनी आराजियात है एवं वादी व प्रतिवादीगण का 1/2 — 1/2 हिस्सा है।

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या :— 4. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पिछले 250 वर्षो से कब्जा है।

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या :— 5. आया वादग्रस्त आराजियात सेटलमेन्ट में वादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गई है।

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या :— 6. आया वादीगण को वाद पेश करने की लोकल स्टेन्डाई नही है।

............जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या :— 7. अनुतोष ?

दिनांक 05.07.2011 को साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यु0 1 श्रीराम पिता मांगीलाल धाकड निवासी पीथाजी का खेडा के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पी0डब्ल्यू0 1 द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि हमारी वादग्रस्त जमीन पीथाजी का खेड़ा में है जिसके आराजी नम्बर 291 रकबा 10 बिस्वा है। यह जमीन मेरे व मेरे भाई माधु, शंकर, सुरेश और मेरी भाभी जेतु के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण ने 3 बिस्वा जमीन पर खांखला डाल दिया, मैने मना किया तो प्रतिवादीगण ने गाली गलौच की लड़ने के लिए तैयार हो गये तथा 3 बिस्वा जमीन पर पत्थर डाल दिये व नाजायज कब्जा कर लिया एवं पत्थरों की कच्ची दीवार चुन दी। फिर मैने न्यायालय में प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली का दावा किया। मेरी जमीन हमारे बाप दादाओं की होकर पहले मेरे दादा बालू के नाम थी। फिर मेरे पिता मांगू के नाम आई उनकी मृत्यु के बाद हमारे नाम आई। मैने वादग्रस्त जमीन का नक्शा पेश किया जो प्रदर्श 1 है। जमाबन्दी सम्वत 2061—64 पेश की जो प्रदर्श 2 है। जमाबन्दी सम्वत 2025—28 प्रदर्श 3 है। जमाबन्दी सम्वत 2020—23 प्रदर्श 4 है। मिलान खसरा प्रदर्श 5 है। मै अपनी 3 बिस्वा जमीन में प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा लेना चाहता हूँ। साक्ष्य वादी जिरह अधिवक्ता श्री दिनेश तम्बोली ने की वादग्रस्त जमीन के नम्बर जानता हूँ। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन में सारा हिस्सा प्रतिवादीगण का है। पूरी जमीन हमारी है। यह कहना गलत है कि पूर्व में यह जमीन भवाना, बालु, हीरा की शामलाती है। जबकि यह जमीन बालू धाकड़ के नाम है। यह कहना गलत है कि भवाना मरा तब यह जमीन प्रताप, छोगा, धन्ना के नाम आई है। यह सही है कि बालु व हीरा दोनो सगे भाई थे। बालु के दो लड़के मांगू, भुरा हुए, हीरा के दो लड़के चन्द्रा व प्रभु हुए। यह कहना गलत है कि प्रतिवादीगण को हमारी जमीन पर कब्जा किये 100—200 साल हो गये हो, बल्कि 4 साल हुए। भूरा की मृत्यु हो गयी जिसके एक लड़की प्रेम पत्नि भूरी है। मेरे भाई गोपाल की मृत्यु हो गई जिसके शंकर, सुरेश व तीन बहने शान्ति, सजना, राधा है। मेरी भाभी का नाम जेतु है। यह सही है कि शान्ति, सजना, राधा ने कब्जा हटाने का दावा नही किया है। यह सही है कि वादग्रस्त जमीन रिकॉर्ड व मौके पर हम वादीगण के शामिल में है। मौके पर बटवाड़ा नही कर रखा है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन सेटलमेन्ट में हमारे नाम गलत दर्ज हो गई है। यह कहना भी गलत है कि हमने वादग्रस्त जमीन पर बाड़े बना रखे है। मेरी जमीने के दक्षिणी दिशा में अवैध कब्जा कर रखा है।

दिनांक 29.02.2012 को साक्ष्य वादी में गवाह पी0डब्ल्यू0 2 जयराम पिता धन्ना धाकड़ के बयान लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह पी0डब्ल्यू02 ने अपने बयान में कथन किया कि मै वादीगण माधू, श्रीराम व शंकर को जानता हूँ तथा प्रतिवादीगण खाना, धन्ना, रूपा धाकड़ को जानता हूँ। हमारे गाँव की है। मै वादग्रस्त जमीन को जानता हूँ जो 10 बिस्वा है जिनमें वादीगण खातेदार है। खाना, धन्ना, रूपा ने वादीगण की इस जमीन के दक्षिणी की तरफ 3 बिस्वा जमीन पर खांखला एवं पत्थर डाल कर नाजायज कब्जा कर लिया। वादीगण के कहने पर प्रतिवादीगण ने कब्जा नही हटाया व झगड़े पर उतारू हो गये। 5 वर्ष पूर्व वादीगण का ही कब्जा था एवं जमीन भी वादीगण की ही थी। प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर लिया। मै वादग्रस्त जमीन का पड़ौसी हूँ। हमारी जमीन एक ही मेर पर है जिसमें उक्त सभी कब्जे को जानता हूँ। जिरह वकील प्रतिवादी श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली ने की जिसमें गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि वादीगण की जमीन के पास में प्रतिवादीगण की भी जमीन आ रही है। दोनों के बीच केवल एक मेर ही है। वादग्रस्त जमीन के पूर्व की तरफ रास्ता होकर हमारी जमीन है। आथूणी तरफ माधू, श्रीराम की जमीन है। धराउ की तरफ माधू, श्रीराम की है। लंकाउ की तरफ कुऑ है। माधू, श्रीराम वादीगण हमारे रिश्तेदार नही होकर समाज के है। नम्बरों के बारे में मुझे जानकारी नही है। यह बात गलत है कि वादग्रस्त जमीन पूर्व में प्रतिवादीगण के बाप दादाओं की है। कब्जा करने की वार तिथि की भी मुझे जानकारी नही है, किन्तु पिछले 4 सालों से ही कब्जा किया है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त जमीन मेरी नही है। भूरा मर गया है। गोपाल मर गया है। लड़की का नाम वाद में नही है। गोपाल के 2 लड़के है शंकर व दूसरे का नाम याद नही है। गोपाल की पत्नि का नाम मुझे याद नही है। शंकर 13 या 14 साल का होगा। गोपाल के एक लड़का सुरेश है और वह 6 साल का है। इस जमीन में भूरा की लड़की व भूरा की पत्नि भी बरकरार है। यह बात सही है कि गोपाल के लड़के लड़की नाबालिग है।

दिनांक 30.03.2015 को साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी0डब्ल्यु0 1 काना पिता प्रताप के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह डी0डब्ल्यु0 1 काना पिता प्रताप द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि वादग्रस्त जमीन ग्राम पीथाजी का खेड़ा में 10 बिस्वा है जिसमें से मेरा आधा हिस्सा है। गत सात पीढ़ियो से हमारे हिस्से में थी। जमीन का उपयोग उपभोग हम करते आ रहे है। हमारे हिस्से वाली जमीन के कोट लगा रखी है। वर्तमान में हम मवेशी बांध रहे है। यह जमीन पीपली वाले कुएँ पर स्थित वर्तमान में मेरे कब्जे में 3 बिस्वा जमीन है। 2 बिस्वा जमीन मेरे और चाहिए। वादीगण ने अपने खाते की जमीन को कभी नही नपवाई। जिरह अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पोरवाल ने की। जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि विवादित जमीन 10 बिस्वा है उसके आराजी नम्बर 291 है। राजस्व नकल प्रदर्श 1 को देखकर बताया कि A स्थान पर विवादित जमीन स्थित है। यह सही है कि विवादित जमीन पूरी वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। यह सही है कि विवादित जमीन हमारी खातेदारी में दर्ज नही है। यह जमीन पूर्व में मेरे या मेरे पूर्वजों के नाम दर्ज रही हो ऐसा मैने कोई रिकॉर्ड न्यायालय में पेश नही किया। यह सही है कि हमने लंकाऊ दिशा में 3 बिस्वा जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह कहना गलत है कि उक्त 3 बिस्वा जमीन पर हमनें 2008 में नाजायज कब्जा किया है। सात पीढ़ी से कब्जा हमारा होने का हमने कोई रेकॉर्ड पेश नही किया है। यह कहना गलत है कि हमने 2008 से इस जमीन पर नाजायज कब्जा किया है।

दिनांक 30.03.2015 को साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी0डब्ल्यु0 2 धन्ना पिता भवाना के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। गवाह डी0डब्ल्यु0 2 द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया कि विवादित जमीन ग्राम पीथा जी का खेड़ा में 10 बिस्वा है। इसमे से हमारे हिस्से में आधी जमीन आती है। अभी हमारा 3 बिस्वा जमीन पर कब्जा है। इसमें हम हमारे मवेशी बांधते है। मेरे बाप दादाओं के समय से ही इस जमीन पर हमारा कब्जा चला आ रहा है। यह 3 बिस्वा जमीन कुएँ के पास में है। जिरह अधिवक्ता श्री देवेन्द्र पोरवाल ने की। जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि विवादित जमीन के लंकाऊ दिशा में 3 बिस्वा जमीन पर हमारा कब्जा है। यह सही है कि हमने दीवार 5–7 साल पहले कराई। यह सही है कि वादीगण ने हमारे द्वारा दीवार कराने के बाद यह दावा किया कि यह सही है कि वादग्रस्त जमीन हमारी खातेदारी में नही है। जबकि वादीगण के खातेदारी मे है। यह सही है कि सात पीढीयो से कब्जा हमारा होने का हमने कोई रिकॉर्ड पेश नही किया।

दिनांक 22.11.2016 को वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 7 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र में वादी संख्या 3 व 4 नाबालिग है परन्तु सहवन से वाद पत्र में उन्हें बालिग अंकित कर दिया है। उक्त त्रुटि सहवन से हुई है। वादी संख्या 3 व 4 की प्राकृतिक संरक्षक माता मु0 जेतू पूर्व में ही वाद में पक्षकार होकर वादी संख्या 5 है इसलिए वाद पत्र में वादी संख्या 3 व 4 को नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता जेतू पत्नी गोपाल धाकड दर्ज किए जाने हेतु संशोधन की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है। उक्त संशोधन से वाद की नो ईयत वाद हेतु या वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए न्यायहित में वाद पत्र में उपरोक्त संशोधन किए जाने की स्वीकृति दिया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशाधित वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर सीधी बहस करना चाहने से दिनांक 17.01.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 5 नियम 17 जा0दी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/वादीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में संशोधन करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिवक्ता वादीगण को संशोधित वाद पेश किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 11.07.2017 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा संशाधित टाईटल पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 13.01.2020 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसके दक्षिणी भाग के 03 बिस्वा भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है। वादीगण द्वारा बार–बार निवेदन करने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा अपना अनधिकृत कब्जा नहीं हटा रहे है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज आराजियात आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा के दक्षिणी भाग के 03 बिस्वा क्षेत्रफल पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावें तथा वादग्रस्त आराजियात का कब्जा पुनः वादीगण को सुपूर्द किया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि आराजी संख्या 291 में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा होकर प्रतिवादीगण 250 वर्षों से अधिक समय से भूमि का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि गलत रूप से वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई अतः वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से सव्यय खारिज किया जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नक्शा ट्रेस ग्राम पीथाजी का खेडा प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत् 2028 ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत् 2010–13 ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ प्रदर्श–4 एवं मिलान खसरा सम्वत् 2021 ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ प्रदर्श–5 का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या 1 :– तनकी संख्या 1 के अन्तर्गत वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा आराजियात वादीगण की खातेदारी की आराजियात है जिसके लगभग 3 बिस्वा हिस्से पर दिनांक 20.06.2008 को प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में वादी संख्या 2 ने अपने स्वयं के बयान देकर कथन किया कि वादग्रस्त जमीन के 3 बिस्वा हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इसके साथ ही स्वयं के बयान देकर कथन किया कि वादग्रस्त जमीन के 3 बिस्वा हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है इसके साथ ही स्वतंत्र गवाह पी0डब्ल्यू0 2 जयराम पिता धन्ना धाकड के बयानों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि लगभग 5 वर्ष पहले अर्थात सन् 2008 में प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि के 3 बिस्वा हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने भी वादग्रस्त भूमि पर अपना अवैध कब्जा होना स्वीकार किया है इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि के 3 बिस्वा रकबे पर अवैध कब्जा किया है। जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– तनकी संख्या 2 के अन्तर्गत वादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 प्रदर्श–2 का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी संख्या 291 के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है, इसलिए वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– तनकी संख्या 3 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा है। उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि साबिक रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। प्रतिवादी संख्या 1 काना द्वारा अपने बयानों के दौरान जिरह के अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा ऐसा कोई रिकॉर्ड पत्रावली में पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी अथवा उसके पूर्वजों के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे है इसलिए तनकी संख्या 3 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– तनकी संख्या 4 में प्रतिवादीगण को यह सिद्ध किया जाना था कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर पिछले 250 वर्षों से कब्जा है। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा कोई रिकॉर्डेड दस्तावेज या गवाह न्यायालय में पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाह डी0डब्ल्यू 2 धन्ना जो कि स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 है ने अपने बयानों में कथन किया कि हमने वादग्रस्त भूमि के 5–7 साल पहले दीवार करवायी इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 250 वर्षों से प्रतिवादीगण का कब्जा हो ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– तनकी संख्या 5 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध किया जाना था कि वादग्रस्त आराजियात भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान वादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गई है परन्तु प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि भूमि भू–प्रबन्ध कार्यवाही से वादीगण के नाम गलत दर्ज की गई हो। इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2020–23 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि बालू, हीरा पिता रामा धाकड के नाम दर्ज है और सम्वत् 2028 में मांगू, भूरा पिता बालू के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान खसरा प्रदर्श–5 में भी वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के नाम ही दर्ज है अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– उक्त तनकी वादीगण को वाद पेश करने की लोकल स्टेन्डाई नहीं है के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य या नजीर पेश नहीं की गई है इसलिए यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7 :– के अन्तर्गत अनुतोष का निर्णय किया जाना था चूंकि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं साक्ष्य बयानों से प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में बनता है अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरियां तहसील माण्डलगढ़ की आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा के दक्षिणी ओर के 3 बिस्वा रकबे से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपूर्द किया जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय :– वाद पत्र में नियत समस्त तनकिया वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पीथाजी का खेडा पटवार मण्डल मुकन्दपुरियां तहसील माण्डलगढ़ की आराजी संख्या 291 रकबा 10 बिस्वा के दक्षिणी ओर के 3 बिस्वा रकबे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी को सुपूर्द करे। आदेशानुसार डिक्री अलग से तरतीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.13 16:54:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: